

S.No. 52

**भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA**  
**रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS**  
**( रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD )**

\*\*\*\*\*

PC-V No. 351.

RBE No. 145/2002

No.E(P&A)I-97/CPC/LE-7

New Delhi, dated 29.08.2002.

The GMs/CAO(R)/OSDs  
All Indian Rhys & Prod. Units etc.  
(As per mailing list).

M 1

Sub: Recommendations of Fifth Central Pay Commission relating to grant of commuted leave/leave on Medical Certificate to Railway servants.

The V CPC's recommendations made vide para 117.14 of their report relating to grant of Commuted Leave/Leave to all categories of Government servants on production of a Medical Certificate has been considered by the Government and it has now been decided by the Board that the following procedure may be followed for sanction of Commuted Leave/Leave to Railway servants on the basis of Medical Certificate :-

- (i) A Railway servant(Gazetted or Non-gazetted), on being a Central Government Health Scheme(CGHS)/Railway Health Services(RHS) beneficiary and living in an area covered by the CGHS/RHS at the time of illness, shall be required to produce a Medical/Fitness Certificate in the Form prescribed in Annexure XI of Rule 538 and 541 of Indian Railway Medical Manual, Volume I, Third Edition 2000, either from an authorized CGHS Medical Officer or a Railway/Government Authorized Medical Officer.

In circumstances where the Railway Doctor's line visits do not materialize, the Railway employees who are covered by the line jurisdiction of the Railway doctor and who have fallen ill, may obtain a Medical Certificate from a Registered Medical Practitioner (RMP) subject to the condition that if the leave applied for on medical grounds is for more than 3 days, the employee should report to the Railway doctor if he is fit to travel or send intimation about his condition if he is bed-ridden, at such intervals as directed by the Railway doctor.

- (ii) Railway servants (Gazetted or Non-gazetted), who are not CGHS/RHS beneficiaries, (including those who have opted out of the CGHS/RHS or are CGHS or RHS Card Holders, but at the time of illness are residing outside the jurisdiction of the CGHS/RHS facilities or take ill while being outside the Headquarters) are required to produce a certificate from his Authorized Medical Attendant provided that in the case of a Non-gazetted Railway employee, if no AMA is available within a radius of 8 kilometers of his residence or place of temporary stay outside the Headquarters, the leave sanctioning authority may, at its discretion, sanction Leave / Commuted Leave on production of a Medical Certificate of sickness from the Registered Medical Practitioner, after satisfying itself of the facts / merits of the case.

Contd...2/-

(iii) In case of hospitalization/indoor treatment permitted in a private hospital recognized under the CGHS/Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 and Railway Medical Attendance Rules as contained in Indian Railway Medical Manual, Third Edition, 2000(Corrected upto 30.9.99), a Railway servant (Gazetted or Non-gazetted), whether a CGHS/RHS beneficiary or not, may produce the requisite Medical/Fitness Certificate from the Authorized Medical Officer of such a hospital in case his hospitalization/ indoor treatment, is on account of the particular kind of disease (e.g. heart, cancer etc.) for the treatment of which the concerned hospital has been recognized by the Ministry of Health and Family Welfare. There may be instances where an employee may be initially admitted to such a hospital at a stage when the disease has yet not been fully diagnosed and it may subsequently be established that the disease was not that, the suspicion of which prompted his / her admission to the hospital. In such cases, the leave sanctioning authority, with the approval of the General Manager, may grant Leave / Commuted Leave on the basis of the certificate of sickness from the Authorized Medical Officer of such a hospital, if he is satisfied about the genuineness of the case.

(iv) In cases where a Non-gazetted Railway servant finds it difficult to obtain the Medical Certificate from a CGHS/RHS doctor or AMA in exceptional cases, the leave sanctioning authority, may consider grant of leave on the basis of the Medical/Fitness Certificate from an RMP after taking into account the circumstances of the specific case. Such a certificate should be, as nearly as possible, in the prescribed form as given in Annexure XI of Rule 538 and 541 of Indian Railway Medical Manual, Volume I, Third Edition 2000, and should state the nature of illness and the period for which the Railway servant is likely to be unable to perform his duties. The competent authority may, at its discretion accept the certificate, or in cases where it has reasons to suspect the bonafides, refer the case to the Divisional Medical Officer for advice or investigation. The Medical Certificate from Registered Medical Practitioner produced by the Railway servant in support of his/her application for leave may be rejected by the competent authority only after a Railway Medical Officer has conducted the necessary verifications and on the basis of the advice tendered by him after such verifications.

2. Certificate of fitness, in the case of employees working in the Zonal Railways and Field Units will continue to be governed by the provisions contained in Rule 538 and 541 of Indian Railway Medical Manual, Volume I, Third Edition 2000.

3. These orders take effect from the date of issue of this letter.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that Rule 521 of the Indian Railway Establishment Code, Volume-I, 1985 Edition (Reprint Edition - 1995) may be substituted by the amended provisions as contained in the enclosed advance correction slip No. 85.

*Nadira Razak*

( NADIRA RAZAK )  
Joint Director Estt.(P&A),  
Railway Board.

DA: As above.

No.E(P&A)I-97/CPC/LE-7

New Delhi, dated 29.08.2002

Copy forwarded to:-

1. The GMs, N.F.Railway(Const.),CAO, Southern Railway(Const.) and Central Railway(Const).
2. The F.A.&C.A.Os, All Indian Railways, Production Units, N.F.Railway(Const.) and Southern Railway(Const).
3. The Director General, RDSO/Lucknow.
4. The General Manager and FA&CAO, Metro Railway/Calcutta.
5. The CAO and FA&CAO, COFMOW/New Delhi.
6. The General Manager and FA&CAO, CORE/Allahabad.
7. The Principal, Railway Staff College/Vadodara.
8. The CAO(Const.), MTP(R)/Mumbai.
9. The CAO(Const.),MTP(R)/Chennai.
10. The Director, CAMTECH/Gwalior-474020.
11. The Director, IRICEN/Pune, IRIEEN/Naik Road, IRIMEE/Jamalpur, IRISSET/Secunderabad.
12. The Managing Director, RITES, IRCON, IRFC, CONCOR of India Limited, Executive Director, CRIS.
13. The Chairman and Managing Director, KRC Limited/New Delhi.
14. Office of the Chief Project Administrator(Telecom), Indian Railway Central Organisation for Telecom (IRCOT) Consultancy, Shivaji Bridge/New Delhi.
15. The Director(Movement), Railways/Calcutta.
16. The Joint Director (Finance), RDSO, Lucknow.
17. The Joint Director, Mil Rail, Ministry of Defence.
18. The Joint Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street/Calcutta.
19. Chief Mining Advisor, Ministry of Railways, Dhanbad, Bihar.
20. The Chairman, RCC, Lok Sabha Secretariat/New Delhi.
21. The Chairman, RCT/Delhi.
22. The Chariman, RRT/Chennai.
23. The Chairman, RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Calcutta, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad and Trivandrum.
24. The Editor, Bhartiya Rail.
25. The Editor, ' Indian Railways'.
26. Chairman, Passenger Services Committee.
27. Member ,Passenger Amenities Committee.
28. The Pay & Accounts Officer, Ministry of Railways (Railway Board).
29. The General Secretary, IRCA/New Delhi.
30. The Commissioner, Railway Safety/Lucknow.
31. Liaison Officer, V CPC, Zonal Railways/PUs/ RDSO/Trg. Institutes/Metro Railway/COFMOW/CORE/RSC etc.

*Nadira Razak*  
(NADIRA RAZAK)  
Joint Director Estt. (P&A)  
Railway Board.

No. E(P&A)I-97CPC/LE-7

New Delhi, Dated: 29.08.2002

Copy (with 40 spares) forwarded to the DAI (Railways), New Delhi.

*Deerams*  
for Financial Commissioner, Railways.

No. E(P&A)I-97/CPC/LE-7

New Delhi, Dated: 29.08.2002

Copy forwarded to the Federations etc.(As per standard mailing list No. III)

*Mamta*  
for Secretary, Railway Board.

Copy forwarded to :-

1. The Secretary General FROA.
2. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officer Association.
3. The President, Railway Board Class II Officers' Association.
4. The Secretary General, IRPOF.
5. The President, Indian Railway Class II Officer Association.
6. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
7. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association
8. The Secretary General, AIRPF Association

Copy to :-PS/MR, PS/MSR(A), & PS/MSR(B).

PPSs/PSs/PAs to CRB, FC, MS, ME, ML, MM, AM(S), AM(F), & Secretary, DG/RHS, EDPC, EDE, ED(E&R), EDF(B), EDF(E), EDE(N), EDE(IR), EDPG, DF(E), DPC, JDE(P&A), JDE(L), JDE(D&A), JDE(G), DPC-I & II, JS(G), JS(E), DS(E), US(A), DDF(E)III, DDE(LR) I, II & III.

E(P&A)II, PC-III, PC-IV & V(with 50 spares), ERB-I,II,III,IV,V & D, E(O)I,II,III & E(O)III/CC, CASH-I,II & III, E(G) with five spares, E(GC), E(GP), Budget Br., F(E)I,II,III (with 5 spares) & Spl., A/Cs III (with 10 spares), Accounts Inspection Cell (with three spares), E(W), E(NG)I & II, E(D&A), E(Rep)I,II & III, Code Revision Cell, (with 3 spares) Branches of Railway Board.

(Authority Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Personnel & Training's OMs No. 13015/2/99 Estt.(L) dated 7.10.97, No. 13015/3 /2000-Estt.(L) dated 24.8.2000, No.13015/3/2000 Estt.(L), dated 15.06.2001 and No. 13015/3/2000 - Estt. (L) dated 17.8.2001.)

**ADVANCE CORRECTION SLIP TO THE INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE,  
VOLUME -I, 1985 EDITION (REPRINT EDITION - 1995)**

Advance Correction Slip No. 85

The existing Rule 521 may be substituted with the following.

"Commuted Leave/Leave on production of Medical Certificate by the Railway servants shall be regulated as follows:-

1. A Railway servant (Gazetted or Non-gazetted), on being a Central Government Health Scheme (CGHS)/Railway Health Services(RHS) beneficiary and living in an area covered by the CGHS/RHS at the time of illness, shall be required to produce a Medical and Fitness Certificate in the Form prescribed in Annexure XI to Rule 538 and 541 of Indian Railway Medical Manual, Volume I, Third Edition 2000 either from an authorized CGHS Medical Officer or a Railway/Government Authorized Medical Officer.

In circumstances where the Railway Doctor's line visits do not materialize, the Railway employees, who are covered by the line jurisdiction of the Railway doctor and who have fallen ill, may obtain a Medical Certificate from a Registered Medical Practitioner (RMP) subject to the condition that if the leave applied for on medical grounds is for more than 3 days, the employee should report to the Railway doctor if he is fit to travel or send intimation about his condition, if he is bed-ridden, at such intervals as directed by the Railway doctor.

2. Railway servants (Gazetted or Non-gazetted), who are not CGHS beneficiaries, (including those who have opted out of the CGHS / RHS or are CGHS or RHS Card Holders, but at the time of illness are residing outside the jurisdiction of the CGHS / RHS facilities or take ill while being outside the Headquarters) are required to produce a Medical and Fitness Certificate from his Authorized Medical Attendant (AMA) provided that in the case of a Non-gazetted Railway employee, if no AMA is available within a radius of 8 kilometers of his residence or place of temporary stay outside the Headquarters, the leave sanctioning authority may at his discretion, sanction Leave / Commuted Leave on production of a Medical Certificate from the Registered Medical Practitioner, after satisfying itself of the facts / merits of the case.

3. In case of hospitalization/indoor treatment permitted in a private hospital recognized under the CGHS/Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 and Railway Medical Attendance Rules as contained in Indian Railway Medical Manual, Third Edition, 2000(Corrected upto 30.9.99), a Railway servant (Gazetted or Non-gazetted), whether a CGHS/RHS beneficiary or not, may produce the requisite Medical/Fitness Certificate from the Authorized Medical Officer of such a hospital in case his hospitalization/indoor treatment, is on account of the particular kind of disease (e.g. heart, cancer etc.) for the treatment of which the concerned Hospital has been

contd....2/-

recognized by the Ministry of Health and Family Welfare. There may be instances where an employee may be initially admitted to such a hospital at a stage when the disease has yet not been fully diagnosed and it may subsequently be established that the disease was not that, the suspicion of which prompted his / her admission to the hospital. In such cases, the leave sanctioning authority, with the approval of the General Manager, may grant Leave / Commuted Leave on the basis of the Medical Certificate from the Authorized Medical Officer of such a hospital, if he is satisfied about the genuineness of the case.

4. In cases where a Non-gazetted Railway servant finds it difficult to obtain the Medical/Fitness Certificate from a CGHS/RHS doctor or AMA in exceptional cases, the leave sanctioning authority, may consider grant of leave on the basis of the Medical/Fitness Certificate from an RMP after taking into account the circumstances of the specific case. Such a certificate should be, as nearly as possible, in the prescribed form as given in Annexure XI of Rule 538 and 541 of Indian Railway Medical Manual, Volume I, Third Edition 2000, and should state the nature of illness and the period for which the Railway servant is likely to be unable to perform his duties. The competent authority may, at its discretion accept the certificate, or in cases where it has reasons to suspect the bonafides, refer the case to the Divisional Medical Officer for advice or investigation. The Medical Certificate from registered private practitioners produced by the Railway servant in support of their application for leave may be rejected by the competent authority only after a Railway Medical Officer has conducted the necessary verifications and on the basis of the advice tendered by him after such verifications.

5. Certificate of Fitness in the case of employees working in the Zonal Railways and Field Units will continue to be governed by the provisions contained in Rule 538 and 541 of Indian Railway Medical Manual, Volume I, Third Edition 2000.

Note: Ordinarily, the jurisdiction of a Railway Medical Officer will be taken to cover Railway servant residing within a radius of 2.5 kilometers of the Railway Hospital or health unit to which the Doctor is attached, and within a radius of one kilometer of a Railway station of the Doctor's beat.

(Authority Board's letter No. E(P&A)I-97/CPC/LE-7 dated 29.08.2002.)

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

पी सी-व सं. 351.

आर बी ई सं. 14/2002

सं. ई (पी एंड ए) I-97/सी पी सी/एल ई-7

नई दिल्ली, दिनांक 29.08.2002

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलें)/विशेष कार्याधिकारी,  
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि.  
(डाक सूची के अनुसार)

**विषय:** रेल सेवकों को चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर परिवर्तित छुट्टी/छुट्टी प्रदान करने संबंधी पांचवे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों.

चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर सभी कोटि के सरकारी सेवकों को परिवर्तित छुट्टी/छुट्टी प्रदान करने संबंधी पांचवे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 117.14 में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और अब यह विनिश्चय किया गया है कि चिकित्सा प्रमाण-पत्रों के आधार पर रेल सेवकों को परिवर्तित छुट्टी/छुट्टी की मंजूरी के लिए निम्नलिखित कार्यविधि अपनाई जाए:-

(i) एक रेल सेवक (राजपत्रित अथवा अराजपत्रित) को, जो कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना(सी जी एच एस)/रेल स्वास्थ्य सेवा(आर एच एस) का लाभार्थी हो और उसकी बीमारी के समय किसी ऐसे स्थान पर रह रहा हो, जहां केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/रेल स्वास्थ्य सेवा की सुविधाएं उपलब्ध हैं, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी अथवा रेलवे/सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, जिल्द-I, तीसरा संस्करण 2000 के नियम 538 और 541 के अनुबंध XI में निर्धारित फॉर्म में बीमारी/अरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

उन परिस्थितियों में, जहां रेलवे डॉक्टर कार्यक्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं तो उन रेल कर्मचारियों को, जो रेलवे डॉक्टर के कार्याधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रहते हुए बीमार हो गए हैं, किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (आर एम पी) से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा बशर्ते यदि चिकित्सा के आधार पर आवेदन 3 दिन से अधिक के लिए है तो कर्मचारी को, अगर वह यात्रा करने के लिए फिट है, रेलवे डॉक्टर को रिपोर्ट करना होगा और यदि वह शय्याग्रस्त है तो उसे अपनी हालत के बारे में सूचना रेलवे डॉक्टर के निर्देशानुसार अंतरालों पर भेजनी होगी.

...2...

(ii) रेल सेवक (राजपत्रित अथवा अराजपत्रित), जो केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी नहीं है; (जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्होंने केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/रेल स्वास्थ्य सेवा का विकल्प त्याग दिया है अथवा केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अथवा रेल स्वास्थ्य सेवा के कार्डधारी हैं लेकिन बीमारी के समय केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/रेल स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं वाले क्षेत्रों से बाहर रह रहे हैं अथवा मुख्यालय से बाहर रहने के दौरान बीमार हो जाते हैं) को अपने प्राधिकृत चिकित्सा परिचर से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा बशर्ते उस मामले में अराजपत्रित रेल कर्मचारी के निवास स्थान अथवा मुख्यालय से बाहर अस्थायी ठहराव के स्थान से 8 कि.मी. के दायरे के भीतर कोई प्राधिकृत चिकित्सा परिचर उपलब्ध न हो तो छुट्टी मंजूरीदाता प्राधिकारी अपने विवेक से मामले के तथ्यों/गुणावगुण के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्राप्त बीमार होने के चिकित्सा प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति पर छुट्टी/परिवर्तित छुट्टी मंजूर कर सकता/सकती है।

(iii) भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, तीसरा संस्करण, 2000 ( 30.9.99 तक संशोधित) में यथा-अंतर्विष्ट केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 एवं रेल चिकित्सा परिचर्या नियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने/इंडोर ट्रीटमेंट कराने की अनुमति दिए जाने के मामले में, रेल सेवक (राजपत्रित अथवा अराजपत्रित), चाहे वह केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/रेल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभार्थी हो या न हो, यदि अस्पताल में उसकी भर्ती/इंडोर ट्रीटमेंट किसी विशेष प्रकार की बीमारी (उदाहरण के लिए हृदयरोग, कैंसर, आदि) के कारण है तो उसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल में उपचार कराने के लिए उस अस्पताल के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षित चिकित्सा /आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा. ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिसमें किसी कर्मचारी को आरंभ में ऐसी अवस्था में ऐसे किसी अस्पताल में भर्ती कराया गया हो जब बीमारी का पूरी तरह से पता नहीं चला हो और बाद में यह पता चला हो कि यह बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसकी आशंका में उसे इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था. ऐसे मामलों में, छुट्टी मंजूरीदाता प्राधिकारी यदि मामले की वास्तविकता से संतुष्ट हो जाता है, तो महाप्रबंधक के अनुमोदन से ऐसे अस्पताल के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त बीमारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी/परिवर्तित छुट्टी मंजूर कर सकता है.

(iv) उन अपवादिक मामलों में, जहां अराजपत्रित रेल सेवक किसी केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/रेल स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टर अथवा प्राधिकृत चिकित्सा परिचर से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करता है तो छुट्टी मंजूरीदाता प्राधिकारी उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्राप्त चिकित्सा /आरोग्यता प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी मंजूर करने पर विचार कर सकता है. ऐसा प्रमाण-पत्र यथासंभव भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, जिल्द I, तीसरा संस्करण 2000 के नियम 538 और 541 के अनुबंध XI में दिए गए निर्धारित फॉर्म में होना चाहिए और इस फॉर्म में बीमारी की प्रवृत्ति और उस अवधि, जिसके लिए रेल



सेवक अपनी ड्यूटी करने में असमर्थ रहेगा, का उल्लेख किया जाना चाहिए. सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक पर प्रमाण-पत्र स्वीकार कर सकता है अथवा उन मामलों को, जिनकी सदाशयता पर संदेह करने के लिए उसके पास कारण हों, सलाह अथवा जांच के लिए मंडल चिकित्सा अधिकारी के पास भेज सकता है. सक्षम प्राधिकारी रेल सेवकों द्वारा उसकी छुट्टी के आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण पत्र को रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच कर लिए जाने के बाद और ऐसी जांच के बाद उसके द्वारा दी गई सलाह के आधार पर ही अस्वीकार कर सकता है.

2. क्षेत्रीय रेलों और फील्ड इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में आरोग्यता प्रमाण-पत्र भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, जिल्द-I, तीसरा संस्करण 2000 के नियम 538 एवं 541 में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होता रहेगा.

3. ये आदेश इस पत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे.

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

5. संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-I, 1985 संस्करण (पुनर्मुद्रण संस्करण -1995) के नियम 521 को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 85 में यथाअंतर्विष्ट संशोधित उपबंधों द्वारा प्रतिस्थापित करने का निदेश देते हैं.

संलग्नक: यथोक्त

नादिरा रज़ाक  
(नादिरा रज़ाक)

संयुक्त निदेशक स्थापना (वेतन एवं भत्ते)  
रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए) I-97/सी पी सी/एल ई-7

नई दिल्ली, दि 29.8.02

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण), मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, दक्षिण रेलवे (निर्माण) एवं मध्य रेलवे (निर्माण) और अन्य.

नादिरा रज़ाक  
(नादिरा रज़ाक)

संयुक्त निदेशक स्थापना (वेतन एवं भत्ते)  
रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए) I-97/सी पी सी/एल ई-7

नई दिल्ली, दि. 24.8.02

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) डी ए आई (रेलें), नई दिल्ली को अग्रेषित.

**उश. श्रीराम**  
कृते वित्त आयुक्त, रेलें

सं ई (पी एंड ए) I-97/सी पी सी/एल ई-7

नई दिल्ली, दि. 29.8.02

फेडरेशनों आदि को प्रतिलिपि अग्रेषित (मानक डाक सूची सं. III के अनुसार)

**सुधा**  
कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि अग्रेषित :

1. महासचिव, एफ आर ओ ए.
2. महासचिव, आर बी एस एस ग्रुप " ए " ऑफिसर्स एसोसिएशन.
3. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन.
4. महासचिव, आई आर पी ओ एफ.
5. अध्यक्ष, इंडियन रेलवे क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन.
6. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिटीरियल स्टाफ एसोसिएशन.
7. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास IV स्टाफ एसोसिएशन
8. महासचिव, ए आई आर पी एफ एसोसिएशन.

प्रतिलिपि : अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य कार्मिक, सदस्य इंजीनियरी, सदस्य बिजली, सदस्य यांत्रिक के प्रमुख निजी सचिव और अन्य.

(प्राधिकार: कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के दिं. 07.10.97 का का.ज्ञा.सं 13015/2/99 एस्ट (एल), दिनांक 24.8.2000 का का. ज्ञा. सं. 13015/3/2000-एस्ट(एल), दिनांक 15.6.2001 का का. ज्ञा. सं.13015/3/2000-एस्ट (एल), दिनांक 17.8.2001 का सं. 13015/3/2000 एस्ट (एल) ).

सेवक अपनी ड्यूटी करने में असमर्थ रहेगा, का उल्लेख किया जाना चाहिए. सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक पर प्रमाण-पत्र स्वीकार कर सकता है अथवा उन मामलों को, जिनकी सदाशयता पर संदेह करने के लिए उसके पास कारण हों, सलाह अथवा जांच के लिए मंडल चिकित्सा अधिकारी के पास भेज सकता है. सक्षम प्राधिकारी रेल सेवकों द्वारा उसकी छुट्टी के आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत रजिस्टर्ड ~~भौतिक~~ प्रैक्टिशनर से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण पत्र को रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच कर लिए जाने के बाद और ऐसी जांच के बाद उसके द्वारा दी गई सलाह के आधार पर ही अस्वीकार कर सकता है.

2. क्षेत्रीय रेलों और फील्ड इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में आरोग्यता प्रमाण-पत्र भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, जिल्द-I, तीसरा संस्करण 2000 के नियम 538 एवं 541 में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होता रहेगा.

3. ये आदेश इस पत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे.

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

5. संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-I, 1985 संस्करण (पुनर्मुद्रण संस्करण -1995) के नियम 521 को संलग्न अग्रिम शब्धि पर्ची सं. ~~85~~ में यथाअंतर्विष्ट संशोधित उपबंधों द्वारा प्रतिस्थापित करने का निदेश देते हैं.

संलग्नक: यथोक्त

नादिरा रज़ाक  
(नादिरा रज़ाक)

संयुक्त निदेशक स्थापना (वेतन एवं भत्ते)  
रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए) I-97/सी पी सी/एल ई-7

नई दिल्ली, दि. 29.8.02

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण), मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, दक्षिण रेलवे (निर्माण) एवं मध्य रेलवे (निर्माण) और अन्य.

नादिरा रज़ाक  
(नादिरा रज़ाक)

संयुक्त निदेशक स्थापना (वेतन एवं भत्ते)  
रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए) I-97/सी पी सी/एल ई-7

नई दिल्ली, दि. 24.8.02

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) डी ए आई (रेलें), नई दिल्ली को अग्रेषित.

**एस. श्रीराम**  
कृते वित्त आयुक्त, रेलें

सं. ई (पी एंड ए) I-97/सी पी सी/एल ई-7

नई दिल्ली, दि. 29.8.02

फेडरेशनों आदि को प्रतिलिपि अग्रेषित (मानक डाक सूची सं. III के अनुसार)

**महा**  
कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि अग्रेषित :

1. महासचिव, एफ आर ओ ए.
2. महासचिव, आर बी एस एस ग्रुप " ए " ऑफिसर्स एसोसिएशन.
3. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन.
4. महासचिव, आई आर पी ओ एफ.
5. अध्यक्ष, इंडियन रेलवे क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन.
6. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिटीरियल स्टाफ एसोसिएशन.
7. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास IV स्टाफ एसोसिएशन
8. महासचिव, ए आई आर पी एफ एसोसिएशन.

प्रतिलिपि : अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य कार्मिक, सदस्य इंजीनियरी, सदस्य बिजली, सदस्य यांत्रिक के प्रमुख निजी सचिव और अन्य.

(प्राधिकार: कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के दिं. 07.10.97 का का.ज्ञा.सं 13015/2/99 एस्ट (एल), दिनांक 24.8.2000 का का. ज्ञा. सं. 13015/3/2000-एस्ट(एल), दिनांक 15.6.2001 का का. ज्ञा. सं.13015/3/2000-एस्ट (एल), दिनांक 17.8.2001 का सं. 13015/3/2000 एस्ट (एल) ).

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द -I, 1985 संस्करण  
(पुनर्मुद्रण संस्करण-1995) के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. --85-----

मौजूदा नियम 521 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए:

"रेल सेवकों द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर परिवर्तित छुट्टी/छुट्टी निम्नानुसार विनियमित की जाएगी :-

(1) एक रेल सेवक (राजपत्रित अथवा अराजपत्रित) को, जो कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना(सी जी एच एस)/रेल स्वास्थ्य सेवा(आर एच एस) का लाभार्थी हो और उसकी बीमारी के समय किसी ऐसे स्थान पर रह रहा हो, जहां केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/रेल स्वास्थ्य सेवा की सुविधाएं उपलब्ध हैं, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी अथवा रेलवे/सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, जिल्द-I, तीसरा संस्करण 2000 के नियम 538 और 541 के अनुबंध XI में निर्धारित फॉर्म में बीमारी अयोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

उन परिस्थितियों में, जहां रेलवे डॉक्टर कार्यक्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं तो उन रेल कर्मचारियों को, जो रेलवे डॉक्टर के कार्याधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रहते हुए बीमार हो गए हैं, किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टीशनर(आर एम पी) से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा बशर्ते यदि चिकित्सा के आधार पर आवेदन 3 दिन से अधिक के लिए है तो कर्मचारी को, अगर वह यात्रा करने के लिए फिट है, रेलवे डॉक्टर को रिपोर्ट करना होगा और यदि वह शय्याग्रस्त है तो उसे अपनी हालत के बारे में सूचना रेलवे डॉक्टर के निर्देशानुसार अंतरालों पर भेजनी होगी.

(2) रेल सेवक (राजपत्रित अथवा अराजपत्रित), जो केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी नहीं हैं; (जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्होंने केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/रेल स्वास्थ्य सेवा का विकल्प त्याग दिया है अथवा केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अथवा रेल स्वास्थ्य सेवा के कार्डधारी हैं लेकिन बीमारी के समय केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/रेल स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं वाले क्षेत्रों से बाहर रह रहे हैं अथवा मुख्यालय से बाहर रहने के दौरान बीमार हो जाते हैं) को अपने प्राधिकृत चिकित्सा परिचर से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा बशर्ते उस मामले में अराजपत्रित रेल कर्मचारी के निवास स्थान अथवा मुख्यालय से बाहर अस्थायी ठहराव के स्थान से 8 किमी. के दायरे के भीतर कोई प्राधिकृत चिकित्सा परिचर उपलब्ध न हो तो छुट्टी मंजूरीदाता प्राधिकारी अपने विवेक से मामले के तथ्यों/गुणावगुण के आधार पर स्वयं को संतुष्टी

करने के बाद रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से प्राप्त बीमार होने के गुणावगुण चिकित्सा प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति पर छुट्टी/परिवर्तित छुट्टी मंजूर कर सकता/सकती है.

(3) भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली: तीसरा संस्करण, 2000 ( 30.9.99 तक संशोधित) में यथा-अंतर्विष्ट केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 एवं रेल चिकित्सा परिचर्या नियम के अंतर्गत मान्यताप्राप्त किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने/ इंडोर ट्रीटमेंट कराने की अनुमति दिए जाने के मामले में, रेल सेवक (राजपत्रित अथवा अराजपत्रित), चाहे वह केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/रेल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभार्थी हो या न हो, यदि अस्पताल में उसकी भर्ती/इंडोर ट्रीटमेंट किसी विशेष प्रकार की बीमारी (उदाहरण के लिए हृदयरोग, कैंसर, आदि) के कारण है तो उसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल में उपचार कराने के लिए उस अस्पताल के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षित चिकित्सा /अरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा. ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिसमें किसी कर्मचारी को आरंभ में ऐसी अवस्था में ऐसे किसी अस्पताल में भर्ती कराया गया हो जब बीमारी का पूरी तरह से पता नहीं चला हो और बाद में यह पता चला हो कि यह बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसकी आशंका में उसे इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था. ऐसे मामलों में, छुट्टी मंजूरीदाता प्राधिकारी यदि मामले की वास्तविकता से संतुष्ट हो जाता है, तो महाप्रबंधक के अनुमोदन से ऐसे अस्पताल के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त बीमारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी/परिवर्तित छुट्टी मंजूर कर सकता है.

(4) उन अपवादिक मामलों में, जहां अराजपत्रित रेल सेवक किसी केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/रेल स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टर अथवा प्राधिकृत चिकित्सा परिचर से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करता है तो छुट्टी मंजूरीदाता प्राधिकारी उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्राप्त चिकित्सा /अरोग्यता प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी मंजूर करने पर विचार कर सकता है. ऐसा प्रमाण पत्र यथासंभव भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, जिल्द I, तीसरी संस्करण 2000 के नियम 538 और 541 के अनुबंध XI में दिए गए निर्धारित फॉर्म में होना चाहिए और इस फॉर्म में बीमारी की प्रवृत्ति और उस अवधि, जिसके लिए रेल सेवक अपनी इयूटी करने में असमर्थ रहेगा, का उल्लेख किया जाना चाहिए. सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक पर प्रमाण पत्र स्वीकार कर सकता है अथवा उन मामलों को, जिनकी सदाशयता पर संदेह करने के लिए उसके पास कारण हों, सलाह अथवा जांच के लिए मंडल चिकित्सा अधिकारी के पास भेज सकता है. सक्षम प्राधिकारी रेल सेवकों द्वारा उसकी छुट्टी के आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण पत्र को रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच कर लिए जाने के बाद और ऐसी जांच के बाद उसके द्वारा दी गई सलाह के आधार पर ही अस्वीकार कर सकता है.

5. क्षेत्रीय रेलों और फील्ड इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में अरोग्यता प्रमाण-पत्र भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली जिल्द-I, तीसरी संस्करण 2000 के नियम 538 एवं 541 में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होता रहेगा.

नोट : सामान्यतः, रेलवे चिकित्सा अधिकारी का कार्याधिकार क्षेत्र, उस रेलवे अस्पताल अथवा स्वास्थ्य इकाई, जिसके साथ वह डॉक्टर संबद्ध है, के 2.5 कि.मी. के दायरे के भीतर और उस डॉक्टर के क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के एक किलोमीटर के दायरे के भीतर रेल सेवक का उपचार करने के लिए लिया जाएगा.

(प्राधिकार : बोर्ड के दिनांक 24.08.2002 का पत्र सं.ई (पी एंड ए)I-97/सी पी सी/एल ई-7)